

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 290/2023

अनवान : -

1. जेलदार पुत्र साधूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. छीन्दाराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. जीताराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. जोगन्द्र पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. दयाराम पुत्र साधूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. पूर्णराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. बुटाराम पुत्र शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. बलवीर पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पैरोकार राज

निर्णय



दिनांक: 12/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 60/50 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण पक्षकारान का सीव व लगान को लेकर विवाद रहता है इसलिए वादी अपना खाता व लगान प्रतिवादीगण से अलग करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि का खाता व लगान अलग तकसीम करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की कब्जा काश्त के अनुसार अपना खाता व लगान अलग कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को  सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनाम  आशय का पेश

01  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

किया की रोही मौजा चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 60/50 की 2.5300 हैक्ट भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया हुआ है—

1. पूर्णराम व नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 24/1 के उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 24/2 की 0.2467 हैक्ट, 25/1 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 25/2 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 25/3 की 0.2087 हैक्ट भूमि
2. बलवीर पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 18/1 के दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट, 18/2 की 0.2467 हैक्ट, 23/1 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 23/2 की उत्तरी पासा की 0.2467 हैक्ट
3. जोगेन्द्र पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 16/1 0.038 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 16/2 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 16/3 की 0.2087 हैक्ट, 17/1 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 17/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि।
4. छिन्दाराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 19/1 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट 19/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि, 20/1 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 20/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि।
5. जैलदार, दयाराम पिसरान साधूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 21/1 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 21/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि, 22/1 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 22/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि।

जीताराम व बुटाराम को उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि बाबत पक्षकारान का राजीनामा हो गया है मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

०१  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 60/50 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पक्षकारान मुताबिक हक हिस्सा अपना खाता व लगान अलग करवाना चाहते हैं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 60/50 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 2 व 6 का नाम कलजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 पूर्णराम व नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 24/1 के उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 24/2 की 0.2467 हैक्ट, 25/1 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 25/2 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 25/3 की 0.2087 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 7 बलवीर पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 18/1 के दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट, 18/2 की 0.2467 हैक्ट, 23/1 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 23/2 की उत्तरी पासा की 0.2467 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 जोगेन्द्र पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 16/1 0.038 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 16/2 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 16/3 की 0.2087 हैक्ट, 17/1 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 17/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 छिन्दाराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 19/1 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट 19/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि, 20/1 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 20/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 जैलदार, दयाराम पिसरान साधूराम जाति बाजीगर निवासी

०१  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

निवासी रामसरा चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 19/1 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट 19/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि, 20/1 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 20/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 जैलदार, दयाराम पिसरान साधूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 21/1 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 21/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि, 22/1 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 22/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 290/2023

अनवान : -

1. जेलदार पुत्र साधूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. छीन्दाराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. जीताराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. जोगन्द्र पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. दयाराम पुत्र साधूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. पूर्णराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. बुटाराम पुत्र शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. बलवीर पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 290 सन 2024 निर्णय दिनांक - 12/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 60/50 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के 1/7 हिस्सा भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 2 व 6 का नाम कलजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 पूर्णराम व नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 24/1 के उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 24/2 की 0.2467 हैक्ट, 25/1 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 25/2 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 25/3 की 0.2087 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 7 बलवीर पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 18/1 के दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट, 18/2 की 0.2467 हैक्ट, 23/1 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 23/2 की उत्तरी पासा की 0.2467 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 जोगेन्द्र पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 16/1 0.038 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 16/2 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 16/3 की 0.2087 हैक्ट, 17/1 की दक्षिण पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 17/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 छीन्दाराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

रामसरा तहसील नोहर को चक 26 एनटीआर के प0न0 मु0न0 326/412(3) के किला न0 21/1 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 21/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि, 22/1 की उत्तरी पासा की 0.0063 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 22/2 की 0.2467 हैक्ट भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर